संख्या-11/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 29 अक्टूबर,2015

विषय: पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कर्मी, जिन्हें कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 21-08-2015/22-09-2015 के क्रम में पदावनत किया गया है, के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति प्राप्त कर्मियों को पदावनत करने के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनॉक 21 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश संख्या-10/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनॉक 22 सितम्बर, 2015 प्रसारित किये गये हैं।

2 शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि कतिपय प्रकरणों में उक्त वर्णित शासनादेशों के प्रावधानों से भिन्न आधार पर पदावनति की कार्यवाही की गयी है। इसी के कारण संबंधित कर्मियों, जिन्हें पदावनत किया गया है, के द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण नियमानुसार किया जाना आवश्यक है। आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहूँगा कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कन्टेम्प्ट पिटीशन (सी) नं-214 ऑफ 2013 इन सी-ए- नं-2679 ऑफ 2011 अमर कुमार एवं अन्य बनाम जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश एवं अन्य तथा इसके साथ सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में दिनॉक 13-10-2015 को आदेश प्रसारित किये गये हैं। इस आदेश का एक अंश यह भी है कि पदावनति से यदि कोई कर्मी क्षुब्ध है तो ऐसे प्रत्यावेदन पर प्रमुख सचिव, कार्मिक द्वारा निर्णय लिये जाने हैं। इस पृष्ठभूमि में यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे प्राप्त प्रत्यावेदन पर सुस्पष्ट विभागीय आख्या/संस्तुति देते हुए इन पर निर्णय लेने हेतु पत्रावली सहित प्रमुख सचिव, कार्मिक को प्रत्यावेदन तथा इससे संबंधित समस्त प्रकरण संदर्भित किये जायें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in